>

Title: Need to take stringent action against the persons indulging in manufacture, sale and use of spurious drugs in the country.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, अभी देश में खासकर उत्तर प्रदेश में नकली इंजेक्शन से बच्चों की मौत का सिलसिला रूका नहीं है। मामले की मजिस्टेरियल जांच का आश्वासन दिया गया है। नकली दवा का यह कारोबार देश के सभी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। नकली दवाओं के सेवन से जन-स्वास्थ्य को हानि होती है तथा लोगों को अपनी जान तक से भी हाथ धोना पड़ता है। नकली दवा के इस काले कारोबार एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों तथा कंपनियों के इस आपराधिक गठबंधन के खिलाफ तुंत प्रभावी कानूनी एवं अन्य जरूरी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। साथ ही जो डाक्टर इस व्यवसाय में संलिप्त होकर इस तरह का टीका लगाते हैं उन्हें भी एम.सी.आई. द्वारा व्यवसायिक रूप से अयोग्य घोषित किया जाए। टीकों के नैदानिक परीक्षण के अनुमोदन और निगरानी तंतू की प्रक्रिया को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा और सख्त करने की जरूरत है, तभी ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर प्रभावी रोक लगेगी। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस पर अविलम्ब प्रभावी ढंग से रोक लगायी जाए।